



9785390930 (M)
incharge.arss.gonera@sknau.ac.in

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा कोटपूतली-बहरोड़

Agricultural Research Sub Station, Gonera, Kotputli-Behror

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

(Shri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

क्रमांक/कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2025/456

दिनांक: 26.08.2025

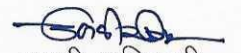
खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती के लिए रबी 2025-26 व खरीफ 2026 के लिए दिनांक 04.09.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं एवं निविदाएं दिनांक 06.09.2025 को श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर कार्यालय में दोपहर 12:00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तों की जानकारी इस केन्द्र पर पाँच सौ रु. जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र के साथ पच्चीस हजार रु. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा **OFFICER INCHARGE ARSS GONERA KOTPUTLI (RF)** के नाम पर जमा करवानी होगी। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं राज्य सरकार की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कर दी गई है। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।


प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. श्रीमान् वित्तनियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है, कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिनांक 06.09.2025 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
4. श्रीमान् राजस्थान समवाद, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
5. सीमका ईंचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है, कि उक्त विज्ञप्ति को <http://sppp.rajasthan.gov.in> एवं विश्वविद्यालय, की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
6. सूचना पट्ट, कार्यालय
7. आरक्षित प्रति


प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा जिला: कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)			
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविधालय, जोबनेर)			
निविदा सूचना क्रमांक: /कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2025/456			दिनांक: 26.08.2025
योजना का नाम :		हिस्सा आधारित खेती	
बजट हेड		रिवोल्विंग फंड	
कार्य की अनुमानित अवधि		रबी 2025-26 व खरीफ 2026	
निविदा फार्म का मूल्य		500 /-रुपये	
		रसिद नं.	दिनांक
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि		डिमाण्ड ड्राफ्ट 25000 /-रुपये	
6. निविदादाता/ कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:			
क्रं.स.	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
	दाना/बीज/ सब्जी	कोन्ट्रेक्टर को मिलने वाला हिस्सा	
	उपज	केंद्र को मिलने वाला हिस्सा	

निविदा शर्तें:-

1-	कृषि अनुसंधान उप केंद्र फार्म पर खेती योग्य भूमि लगभग 30 हेक्टर पर केंद्र के निर्देशानुसार आवंटित क्षेत्र पर खेती करनी होगी ।
2-	निविदादाता निविदा फार्म में अपना नाम पता एवं मोबाइल न. एवं पते का प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड/वोटर कार्ड जिसमें फोटो लगी हो एवं बैंक खाते की पासबुक की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ संलग्न करे ।
3.	निविदादाता को प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे ।
4.	जमा धरोहर राशि पर ब्याज देय नहीं होगा।
5.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य जैसे डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर, रोटोवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाइजर ड्रिलिंग इत्यादि कार्य के लिये ट्रैक्टर की व्यवस्था मय डिजल केन्द्र द्वारा ही की जावेगी जबकि ट्रैक्टर चालन का कार्य निविदादाता को करना होगा।
6.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, खरपतवारनाशी, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी। प्रभारी अधिकारी/फार्म इनचार्ज की सिफारिश के अनुसार देय होगा।


Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
GONERA, KOTPUTI

7.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
8.	फार्म पर उत्पादित फसल का चारा/ भूसा निविदाता का होगा।
9.	निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी उपकरण जैसे पाइप, फब्वारे, बेंड, टी, डाट इत्यादि गिनकर लिखित रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की टूट-फूट होने पर निविदादाता को नये क्रय कर केन्द्र पर जमा करवाने होंगे नहीं लौटाने पर इनकी लागत राशि कार्यालय में जमा करवानी होगी।
10.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।
11.	थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कोन्ट्रेक्टर को उन फसलों का थ्रेसिंग के बाद उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा। अगर कोमर्सियल उत्पादन लिया जाता है तो निविदादाता उत्पाद का हिस्सा ले सकता एवं सब्जी उत्पादन में मूल्य निर्धारण केन्द्र की खरीद एवं विक्रय कमेटी द्वारा किया जायेगा जिसके विक्रय के पश्चात निविदादाता को चैक द्वारा भुगतान किया जायेगा।
12.	फार्म पर कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता की ही होगी।
13.	फार्म पर स्थित तारबंदी की मरम्मत का कार्य समय समय पर निविदाता को ही करना होगा। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
14.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इक्कठा करने के लिये ट्रैक्टर ट्रौली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
15.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर, फार्म इन्चार्ज व प्रभारी अधिकारी को होगा।


Officer Incharge
 Agriculture Research Sub Station
 GONERA, KOTPLI

16.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म इन्चार्ज/प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमी एवं कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
17.	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय ध्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 50 किलोग्राम से अधिक नहीं हो।
18.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही करवाना होगा।
19.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्राली उपलब्ध करवा दी जावेगी।
20.	ट्र्यूब वैल मोटर ओपरेसन निविदादाता को ही करना होगा एवं निविदा समय में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर निविदादाता को स्वयं के खर्चे पर ठीक करवानी होगी।
21.	ट्र्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदादाता स्वयं को करनी होगी।
22.	फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
23.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
24.	फसलों में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म इंचार्ज की देख रेख में निविदादाता को ही करवाना होगा।
25.	फार्म पर बुवाई क्षेत्र एवं आसपास उगने वाले खरपतवार व अन्य अवांछित पौधे निकालने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। खरपतवार नहीं निकालने पर इसमें लगने वाली मजदूरी का भुगतान निविदादाता से वसूला जावेगा।
26.	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं निविदादाता को अपने स्वयं के खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा। केन्द्र द्वारा थ्रेसर उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
27.	फार्म की फसलों की रखवाली दिन-रात की निविदादाता द्वारा की जावेगी। इसके लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
28.	सफल निविदादाता को सौ रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा शर्तों को मानने का शपथ-पत्र देना होगा।


Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
GONERA, KOTPUTLI

29.	प्रथम वरीयता प्राप्त पार्टी द्वारा कार्य नहीं संभालने पर ठेका निरस्त करके अगली वरीयता पार्टी को कार्य का आदेश प्रभारी अधिकारी दे सकेंगे। अनुबंध की अवधि आदेश की तारीख से एक साल तक / रबी एवं खरीफ सीजन के लिए मान्य होगी।
30.	निविदादाता किसी अन्य को अपने स्तर पर हिस्सा धारक नहीं बना सकेगा। यदि निविदादाता ऐसा करता है, तो उसकी निविदा केंद्र द्वारा निरस्त कर दी जायेगी।
31.	किसी भी प्रकार की प्रकृतिक प्राकृतिक आपदा जैसे पाला, ओलावृष्टि आदि होने पर केंद्र द्वारा किसी प्रकार का अनुदान या फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
32.	निविदाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा निविदाता या उसके मजदूर केंद्र फार्म पर मदिरा व अन्य नशा सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे।
33.	अनुबंध की अवधि कार्य सन्तोषजनक होने पर आपसी सहमति से अगले एक साल के लिए और बढ़ाई जा सकती है।

मुझे निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिये सहमत हूँ।

कॉन्ट्रैक्टर के हस्ताक्षर व पता दिनांक सहित


Officer Incharge
 Agriculture Research Sub Station
 GONERA KOTPUTLI